WEB COPY NOT OFFICIAL



---

जैन फिलिंग स्टेशन, इण्डियन ऑयल, किसान सेवा केन्द्र, डिलर जिलिया, जरिये प्रो. पंकज जैन निवासी जिलिया, तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर (राज.)

..................परिवादी

**बनाम**

गणेशाराम पुत्र किशनाराम, निवासी उदयपुरा, पोस्ट जिलिया, तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर (राज.)

................अभियुक्तगण

**उपस्थितिः-**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01- | परिवादी की ओर से | - | श्री दिनेश सिंह, अधिवक्ता। |
| 02- | अभियुक्तगण की ओर से | - | श्री अशोक पुरी, अधिवक्ता। |

| | |
|---|---|
| चैक जारी दिनांक | 04-03-2019 |
| चैक अनादरण दिनांक | 05-03-2019 |
| विधिक सूचना प्रेषित दिनांक | 12-03-2019 |
| परिवाद प्रस्तुती दिनांक | 01-04-2019 |
| आरोप विरचित करने की दिनांक | 24-01-2023 |
| साक्ष्य प्रारम्भ होने की दिनांक | 31-01-2023 |
| बहस अंतिम की दिनांक | 06-07-2026 |
| निर्णय दिनांक | 27-07-2026 |
| दण्डादेश की दिनांक (यदि हो तो) | 27-07-2026 |

WEB COPY NOT OFFICIAL



**अभियुक्त का विवरणः-**

| क्र स | अभियुक्त का नाम | गिरफतारी की दिनांक | जमानत की दिनांक | अपराध धारा | दोषमुक्त या दोषसिद्ध |
|---|---|---|---|---|---|
| 1- | गणेशाराम | - | - | 138 Negotiable Instrument Act | दोषसिद्ध |

**अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय के साक्षीगण की सूचीः-**

**(अ) अभियोजन साक्षीः-**

| क्र.स. | नाम | साक्ष्य की प्रकृति |
|---|---|---|
| 01- | पंकज | परिवादी स्वयं |

**(ब) प्रतिरक्षा साक्षी- निल**

**(स) न्यायालय साक्षी- निल**

**अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय के दस्तावेजात की सूचीः-**

**(अ) अभियोजन दस्तावेजातः.**

| क्र.स. | प्रदर्श नंबर | विवरण |
|---|---|---|
| 01- | प्रदर्श पी 1 | चैक संख्या 012673 |
| 02- | प्रदर्श पी 2 | रिटर्न मिमो दिनांक 05.03.2019 |
| 03- | प्रदर्श पी 3 | विधिक नोटिस दिनांक 12.03.2019 |
| 04- | प्रदर्श पी 4 | डाक रसीद 12.03.2019 |
| 05- | प्रदर्श पी 5 | चैक जमा रसीद दिनांक 05.03.2019 |
| 06 | प्रदर्श पी 6 | पावती स्वीकृति नही मिलने बाबत प्रार्थना पत्र |
| 07- | प्रदर्श पी 7 | गणेश सारण का लेजर अकाउण्ट |
| 08- | प्रदर्श पी 8 | धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र |

**(ब) प्रतिरक्षा दस्तावेजातः- निल**

**(स) न्यायालय दस्तावेजातः- निल**

**(द) आर्टिकल्स की सूचीः- निल**

## अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881

## -ः: निर्णयःः-

WEB COPY NOT OFFICIAL



---

**दिनांकः-27.07.2026**

1. प्रकरण परिवादी जैन फिलिंग स्टेशन, जरिये प्रो. पंकज जैन ने अभियुक्त गणेशाराम के विरुद्व परिवाद अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 इस आशय का पेश किया कि परिवादी द्वारा पेट्रोल, डीजल का विक्रय किया जाता है। अभियुक्त ने दिनांक 5.09.2012 से 29.12.2017 तक विभिन्न समय में परिवादी की फर्म से डीजल खरीद किया तथा विभिन्न समय पर आंशिक भुगतान करता था। परन्तु अन्तिम रूप से दिनांक 29.12.2017 को अभियुक्त पर डीजल खरीद के 2,63,670/- रुपये बकाया निकले। उक्त राशि के संबंध में बार बार तकादा करने पर अभियुक्त ने परिवादी को एक चैक संख्या 012673 राशि 2,63,670/- रुपये का हस्ताक्षर कर सेट्रल बैंक आफ इण्डिया बैंक शाखा जिलिया के खाता संख्या 2230357624 का परिवादी को भुगतान प्राप्त करने हेतु दिया। परिवादी द्वारा अपने फर्म की बैंक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा जिलिया के खाता संख्या 3179028169 में दिनांक 05.03.2019 को जमा करवाया। परिवादी के बैंक शाखा द्वारा अभियुक्त के खाते वाली बैंक मे क्लीयरिंग हेतु भिजवाने पर उक्त चैक दिनांक 05.03.2019 को अभियुक्त की बैंक द्वारा *अपर्याप्त धनराशि* के अंकन के नोट के साथ परिवादी की बैंक को चैक रिटर्न मीमो के साथ लौटाया। परिवादी की बैंक शाखा ने दिनांक 05.03.2019 को परिवादी को लौटा दिया। परिवादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड नोटिस डाक से अधिवक्ता द्वारा दिनांक 12.03.2019 को अभियुक्त के निवास स्थान के पते पर प्रेषित किया। उक्त रजिस्टर्ड डाक की पावती प्राप्त नही होने पर उप डाकपाल, डाकघर, कुचामन सिटी को दिनांक 27.03.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर डाकघर द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 14.03.2019 को वितरण हो जाने का लिखकर दिया। नोटिस की प्राप्ति होने के पश्चात भी अभियुक्त द्वारा जानबूझकर परिवादी के शोध्य रकम हडप करने की नियत से चैक जारी किया। अभियुक्त द्वारा जारी चैक अपर्याप्त निधि के अंकन के साथ अनादरित होने से धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने तथा परिवाद के न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से परिवादी प्रस्तुत कर शोध्य धनराशि व आपराधिक कृत्य हेतु सजा दिलवाने का निवेदन किया।
2. न्यायालय द्वारा परिवाद के आधार पर दिनांक 12.07.2019 को अभियुक्त के विरुद्व धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत प्रसंज्ञान लिया गया।
3. अभियुक्त को दिनांक 24.01.2023 धारा 138 एन.आई. एक्ट के अपराध का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, जिसे अभियुक्त ने सुन व समझकर आरोप से इनकार कर अन्वीक्षा चाही तथा उसे नोटिस नही मिलने, उसकी चैक बुक जैन फिलिंग पर रहने, गलत चैक भरकर लगाने तथा परिवादी से

WEB COPY NOT OFFICIAL



कोई लेनदेन बकाया नही होने के कथन किए है।

4. उक्त अपराध को साबित करने के लिए परिवादी स्वयं ने मुख्य परीक्षण में परीक्षित होकर अपने बयान पीडब्लू-01 के रुप में लेखबद्व करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 लगायत पी 8 को प्रदर्शित करवाया।

5. न्यायालय द्वारा अभियुक्त के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 सीआरपीसी लेखबद्व किये गये, जिसमें अभियुक्त ने झूठा केस करने, परिवादी के झूठे केस करने का आदी होने तथा परिवादी द्वारा अपने भाईयो पर भी केस कर रखा होना कथित किया है।

6. अधिवक्ता परिवादी ने बहस के दौरान मौखिक तर्क प्रस्तुत किए है कि परिवादी ने प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपना मामला अभियुक्त के विरुद्व युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। अभियुक्त द्वारा धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि चैक प्रदर्श पी.1 उसका न हो एवं यदि अभियुक्त द्वारा दिया गया चैक प्रदर्श पी.1 का परिवादी द्वारा दुरुपयोग किया गया हो तो इस संबंध में भी अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। अभियुक्त परिवादी के पेट्रोल पम्प से नियमित रुप से तेल क्रय करता था। उक्त चैक राशि बकाया होने के ऐवज में अभियुक्त द्वारा उक्त चैक भरकर परिवादी को दिया।

7. अधिवक्ता परिवादी ने बहस के दौरान आगे ओर तर्क प्रस्तुत किए है कि अभियुक्त द्वारा चैक पर अपने हस्ताक्षर विवादित नहीं किए है तथा उक्त चैक के अनादरण के संबंध में विहित परिसीमा में नोटिस अभियुक्त को प्रेषित करवाया गया है। अभियुक्त की ओर से चैक चोरी के सम्बन्ध में कोई मामला दर्ज करवाया हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। अभियुक्त के पिता के नाम सही नही होने का तथ्य मानने योग्य नही है, क्योकि प्रकरण में चैक अभियुक्त द्वारा जारी है तथा प्रसंज्ञान अभियुक्त के विरुद्व लिया गया है। हस्तगत प्रकरण चैक अनादरण से संबंधित है, इसमे पेट्रोल पम्प विधि अनुसार है या नही, यह तथ्य प्रासंगिक नही है। अभियुक्त ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्त के पिता कोई अन्य हो। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त के विरुद्व तथा परिवादी के पक्ष में अधिनियम की धारा 139 के तहत उपधारणा सृजित होती है। इस प्रकार परिवादी ने अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अपने मामले को संदेह से परे साबित किया है। अंत में अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए

WEB COPY NOT OFFICIAL



दोषसिद्व किया जाकर विधिनुसार दण्ड तथा चैक की दुगनी राशि के जुर्मनि से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

8. अभियुक्त को दिनांक 24.01.2023 धारा 138 एन.आई. एक्ट के अपराध का आरोप सारांश मौखिक रुप से सुनाया व समझाया गया, जिसे अभियुक्त ने सुन व समझकर आरोप से इनकार कर अन्वीक्षा चाही तथा उसे नोटिस नही मिलने, उसकी चैक बुक जैन फिलिंग पर रहने, गलत चैक भरकर लगाने तथा परिवादी से कोई लेनदेन बकाया नही होने के कथन किए है।

9. उक्त अपराध को साबित करने के लिए परिवादी स्वयं ने मुख्य परीक्षण में परीक्षित होकर अपने बयान पीडब्लू-01 के रुप में लेखबद्व करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 लगायत पी 8 को प्रदर्शित करवाया।

10.**प्रदर्श के सम्बन्ध में आपत्ति का निस्तारणः-** प्रकरण मे निर्णय से पूर्व प्रदर्श पी 07 व 08 पर संरक्षित आपत्ति का निस्तारण किया जा रहा है। साक्ष्य परिवादी पी.ड.01 के दौरान प्रदर्श पी 07 बैंक स्टेटमेन्ट व प्रदर्श पी 08 धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम के सम्बन्ध में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई थी। प्रदर्श पी 07 Ganesh Saran के Ledger Account है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 34 के अनुसार व्यवसाय के दैनिक संचालन में इलेक्ट्रॉनिक रुप में या किसी अन्य रुप में रखी गई लेखा-पुस्तकों (बैंक अभिलेखों सहित) को साक्ष्य के रुप में स्वीकार किया जाता है। प्रदर्श पी 08 धारा 65 बी का प्रमाण पत्र है, जिसको प्रदर्श पी 07 के सम्बन्ध में जारी किया गया है। चूंकि साक्ष्य अधिनियम में धारा 65 बी के प्रमाण पत्र का कोई निर्धारित प्रारुप नही है तथा प्रमाण पत्र का उददेश्य इलेक्ट्रानिक साक्ष्य की सत्यता को स्थापित करना है। ऐसे में प्रस्तुत प्रमाण प्रदर्श पी 06 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार होने से साक्ष्य में ग्राह्य है। **अतः प्रदर्श पी 07 व पी 08 के सम्बन्ध में आपत्ति स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है।**

11.न्यायालय द्वारा अभियुक्त के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 सीआरपीसी लेखबद्व किये गये, जिसमें अभियुक्त ने झूठा केस करने, परिवादी के झूठे केस करने का आदी होने तथा परिवादी द्वारा अपने भाईयो पर भी केस कर रखा होना कथित किया है।

12.अधिवक्ता परिवादी ने बहस के दौरान मौखिक तर्क प्रस्तुत किए है कि परिवादी ने प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपना मामला अभियुक्त के

WEB COPY NOT OFFICIAL



---

विरुद्व युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। अभियुक्त द्वारा धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि चैक प्रदर्श पी.1 उसका न हो एवं यदि अभियुक्त द्वारा दिया गया चैक प्रदर्श पी.1 का परिवादी द्वारा दुरूपयोग किया गया हो तो इस संबंध में भी अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। अभियुक्त परिवादी के पेट्रोल पम्प से नियमित रूप से तेल क्रय करता था। उक्त चैक राशि बकाया होने के ऐवज में अभियुक्त द्वारा उक्त चैक भरकर परिवादी को दिया।

13. अधिवक्ता परिवादी ने बहस के दौरान आगे ओर तर्क प्रस्तुत किए है कि अभियुक्त द्वारा चैक पर अपने हस्ताक्षर विवादित नहीं किए है तथा उक्त चैक के अनादरण के संबंध में विहित परिसीमा में नोटिस अभियुक्त को प्रेषित करवाया गया है। अभियुक्त की ओर से चैक चोरी के सम्बन्ध में कोई मामला दर्ज करवाया हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। अभियुक्त के पिता के नाम सही नही होने का तथ्य मानने योग्य नही है, क्योकि प्रकरण में चैक अभियुक्त द्वारा जारी है तथा प्रसंज्ञान अभियुक्त के विरुद्व लिया गया है। हस्तगत प्रकरण चैक अनादरण से संबंधित है, इसमे पेट्रोल पम्प विधि अनुसार है या नही, यह तथ्य प्रासंगिक नही है। अभियुक्त ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्त के पिता कोई अन्य हो। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त के विरुद्व तथा परिवादी के पक्ष में अधिनियम की धारा 139 के तहत उपधारणा सृजित होती है। इस प्रकार परिवादी ने अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अपने मामले को संदेह से परे साबित किया है। अंत में अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्व किया जाकर विधिनुसार दण्ड तथा चैक की दुगनी राशि के जुर्माने से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

14. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुए बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किए कि प्रकरण में परिवादी द्वारा धारा 138(ख) के परन्तुक की पूर्ण पालना नही की है, परिवादी द्वारा नोटिस गणेशाराम पुत्र भूराराम को जारी किया है, जबकि नोटिस गणेशाराम पुत्र किशनाराम को दिया जाना था। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त को कभी नोटिस ही जारी नही किया गया है। गणेशाराम के पिता दत्तक गये अथवा नही, यह तथ्य को साबित करने का भार परिवादी पर था। परिवादी ने अपने सशपथ कथनो के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया है कि गणेशाराम पुत्र किशनाराम से कोई राशि नही मांगता है। परिवादी ने

WEB COPY NOT OFFICIAL



---

साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श पी 9 ए पूर्णतः अधूरा है तथा परिवादी द्वारा तथ्यो को छुपाते हुए प्रस्तुत किया है।

15.अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस के दौरान आगे ओर तर्क प्रस्तुत किए है कि परिवाद में वर्णित पेट्रोल पम्प पूर्णतः अवैध है, जिस कारण कोई विधि शोध्य बकाया अभियुक्त पर नही है, जिससे धारा 139 एनआई एक्ट की अवधारणा सृजित नही होती है। प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श पी 07 पर सीए के हस्ताक्षर नही होने तथा प्रदर्श पी 8 अधूरा होने से साक्ष्य मंे ग्राह्य नही है। प्रदर्श पी 03 पत्र के उपर लिखा हुआ पृष्ठाकंन सही नही होने से नोटिस डिलीवरी होना साबित नही है। परिवादी द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिससे अभियुक्त का उसके प्रति कोई दायित्व बनना साबित होता हो। अभियुक्त ने संभावनाओं की बाहुल्यता तक अपने विरुद्व सृजित उपधारणा का खण्डन किया है तथा परिवादी अभियुक्त के विरुद्व अपना मामला संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अंत में अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कियाः-

01. M/S. Rahul Builders vs M/S. Arihant Fertilizers & Chemical (2008)2 SCC 321 Date 02.11.2007

16.उभयपक्षकारान की बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का आद्योपांत अध्ययन व ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु अवधारण के लिए प्रश्न ये हैं किः-

> **"(1) क्या अभियुक्त ने परिवादी के प्रति विधिक दायित्व की अदायगी पेटे चैक संख्या 012673 दिनांकित 04.03.2019 राशि रुपये 2,63,670/- बेंकर सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा जिलिया का जारी किया, जो परिवादी द्वारा विधिनुसार नियत समय में भुगतान हेतु अपने बैंक में प्रस्तुत करने पर आपके बैंक द्वारा दिनांक 05.03.2019 को अपर्याप्त निधि के रिमार्क से अनादरित कर दिया गया, जिस पर अनादरण की सूचना देने व चैक राशि की मांग करने के लिए परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से विधिक सूचना पत्र आपको दिनांक 12.03.2019 को प्रेषित करवाया। जिसकी सूचना आपके प्राप्त हो जाने के अन्दर मियाद 15 दिवस आप द्वारा चैक राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया गया?"**

17.**विनिश्चय - परिवादी के पक्ष में है।**

18.**विनिश्चय के कारण -** अभियुक्त के विरुद्व धारा 138 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत

WEB COPY NOT OFFICIAL



आरोपित अपराध को साबित करने के लिए परिवादी द्वारा निम्न बिन्दुओं को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना हैः-

**(1) विधिक दायित्व के उन्मोचन के लिए अभियुक्त द्वारा बैंक के साथ संधारित अपने खाते से चैक परिवादी को दिया जाना।**

**(2) उक्त चैक का अपर्याप्त निधि के कारण से अनादरण होना।**

**(3) विहित समयावधि में नोटिस दिया जाकर अनादरित चैक की राशि के सन्दर्भ में परिवादी द्वारा मांग करना, जिसके उपरांत भी अभियुक्त द्वारा राशि का भुगतान नहीं करना, जिस पर विहित अवधि में न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करना।**

19.उपरोक्त सभी बिन्दुओं का समग्र विश्लेषण एकसाथ किया जा रहा है। परिवादी द्वारा अपने परिवाद के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र में परिवाद के तथ्यो की पुनरावृति समग्र रूप से करते हुए अभियुक्त से पेट्रोल, डीजल के विक्रय के बकाया राशि 2,63,670/- के एवज में चैक प्राप्त करने तथा चैक को भुगतान हेतु दिनांक 05.03.2019 को फर्म की बैंक सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा जिलिया नागौर में जमा करवाने पर बैंक द्वारा अपर्याप्त धनराशि के अंकन के साथ अनादरित करने के तथ्यो को वर्णित किया है। परिवादी द्वारा अपने अभिकथनो के समर्थन मे दस्तावेजात प्रदर्श पी 01 से पी 08 को प्रदर्शित करवाया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान गवाह ने प्रदर्श पी 01 चैक जैन फिलिंग स्टेशन के नाम पर जारी होने का सुझाव स्वीकार किया है। गवाह ने विधिक नोटिस प्रदर्श पी 03 गणेशाराम पुत्र भूराराम को देने तथा किशनाराम के गोद चले जाने की जानकारी उसे नही होने के कथन किए है। परिवादी ने कथनो में स्वयं द्वारा खाता देखने तथा हर साल खाते की आडिट कराने के कथन किए है। परिवादी ने गणेशाराम पुत्र किशनाराम से कोई राशि नही मागने तथा गणेशाराम पुत्र भूराराम से मांगना बताया है।

20.आरोपित अपराध के सम्बन्ध में प्रदर्शित दस्तावेजो का अवलोकन किया जाए तो प्रदर्श पी 1 चैक संख्या 012673 दिनांक 04.03.2019 का है, जिसे प्रदर्श पी 05 के अनुसार विहित अवधि (03 माह) में प्रस्तुत करने पर जरिये रिटर्न मीमो प्रदर्श पी 02 दिनांक 05.03.2019 को लौटना दर्शित होता है। रिटर्न मीमो प्रदर्श पी 02 के अनुसार बैंक द्वारा "**निधि अपर्याप्त Fund Insufficient"** के कारण दर्शित करते हुए लौटाया गया है।

21.बैंक द्वारा चैक अनादरण के सम्बन्ध में व्यक्त कारण "**निधि अपर्याप्त Fund**

WEB COPY NOT OFFICIAL



**Insufficient"** धारा 138 एनआई एक्ट के आधार स्थापित करता है। परिवादी द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श 03, प्रदर्श 04 के अवलोकन से परिवादी ने मार्फत अधिवक्ता रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 12.03.2019 को विहित अवधि (धारा 138(ख) के अनुसार 30 दिन) में प्रेषित किया है। उक्त नोटिस के सम्बन्ध में परिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.03.2019 उप डाकपाल, डाकघर, कुचामन सिटी को प्रस्तुत करने पर प्रदर्श पी 06 के ए से बी भाग के अनुसार दिनांक 14.03.2019 को वितरण होकर लौटा है। नोटिस की प्राप्ति के पश्चात् धारा 138(ग) एनआईएक्ट के अनुसार विहित अवधि (15 दिवस) के व्यतीत होने के पश्चात् परिवाद दिनांक 01.04.2019 को प्रस्तुत करना दर्शित होता है।

22.इस प्रकार परिवादी द्वारा धारा 142(बी) एनआई एक्ट के तहत वाद हेतुक के उत्पन्न होने के पश्चात विहित अवधि (एक माह) में परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। उपरोक्त सभी आज्ञापक प्रावधानो के सम्बन्ध में अभियुक्त की ओर से कोई खण्डन प्रस्तुत नही किया गया है। खण्डन के अभाव में परिवादी द्वारा धारा 138 एनआईएक्ट के प्रावधान के अनुसार परिवाद प्रस्तुत करने का तथ्य स्वीकृत होकर साबित होता है।

23.<u>इसके पश्चात् न्यायालय को यह देखना है कि क्या परिवादी के पक्ष में धारा 118 ए व 139 एनआई एक्ट की उपधारणा सृजित होती है?</u>

24.इस संबंध में सर्वप्रथम धारा 118 ए व 139 एनआई एक्ट का अवलोकन किया जाए तो यह धारा निम्न प्रकार हैः-

> "<u>**118. Presumptions as to negotiable instruments.**</u>—Until the contrary is proved, the following presumptions shall be made:
> <u>**(a) of consideration**</u>:—that every negotiable instrument was made or drawn for consideration, and that every such instrument, when it has been accepted, indorsed, negotiated or transferred, was accepted, indorsed, negotiated or transferred for consideration.
> <u>**139. Presumption in favour of holder.—**</u>It shall be presumed, unless the contrary is proved, that the holder of a cheque received the cheque of the nature referred to in section138 for the discharge, in whole or in part, of any debt or other liability."

25.इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **Baslingappa vs Mudibasappa Cr Appeal No. 363 of 2019 [2019 Supreme(SC) 423] Date**

WEB COPY NOT OFFICIAL



---

**09.04.2019** में निम्न मत अभिव्यक्त किया हैः-

> "23. We having noticed the ratio laid down by this Court in above cases on Sections 118(a) and 139, we now summarise the principles enumerated by this Court in following manner:-
> (i) **Once the execution of cheque is admitted Section 139 of the Act mandates a presumption** that the cheque was for the discharge of any debt or other liability.
> (ii) The presumption under Section 139 is a rebuttable presumption and the onus is on the accused to raise the probable defence. **The standard of proof for rebutting the presumption is that of preponderance of probabilities.**
> (iii) To rebut the presumption, it is open for the accused to rely on evidence led by him or accused can also rely on the materials submitted by the complainant in order to raise a probable defence. Inference of preponderance of probabilities can be drawn not only from the materials brought on record by the parties but also by reference to the circumstances upon which they rely.
> (iv) That it is not necessary for the accused to come in the witness box in support of his defence, Section 139 imposed an evidentiary burden and not a persuasive burden,
> (v) It is not necessary for the accused to come in the witness box to support his defence."

26.उपरोक्त मत के प्रकाश में हस्तगत प्रकरण का अवलोकन किया जाए तो परिवादी ने उक्त प्रदर्श पी 01 चैक संख्या 012673 अभियुक्त से प्राप्त होना अभिकथित किया है। उक्त तथ्य के सम्बन्ध में अभियुक्त अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया है कि उक्त चैक पर हस्ताक्षर अभियुक्त के नही है।

27.इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया जाए तो अभियुक्त ने केवल बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 में ही चेक पर अपने हस्ताक्षर होने से इनकार किया है। इसके अलावा अभियुक्त के वकील ने परिवादी से हस्ताक्षर के संबंध में सशपथ कथनो के दौरान जिरह नहीं की है और न ही अभियुक्त ने यह साबित करने के लिए बचाव पक्ष का कोई सबूत पेश किया है कि हस्ताक्षर उसके नहीं हैं। अभियुक्त के नाम वाला हस्ताक्षरित चैक पेश किया गया है और परिवादी ने अपनी मुख्य

WEB COPY NOT OFFICIAL



परीक्षण में वर्णित किया है कि चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं।

28.इसके अतिरिक्त अभियुक्त पक्ष ने उक्त प्रदर्श पी 01 चैक संख्या 012673 पर अपने हस्ताक्षर नही होने के संबंध मे किसी प्रकार का खण्डन परिवादी के प्रतिपरीक्षण में नही किया है, जिससे यह तथ्य खण्डन के अभाव में स्वीकृत होकर साबित होता है। ऐसे में सभी साक्ष्य के अवलोकन से अभियुक्त पक्ष का यह तर्क अस्वीकार्य है कि चैक पर हस्ताक्षर अभियुक्त के नही थे। परिवादी पक्ष ने यह तथ्य साबित किया है कि चैक प्रदर्श पी 01 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर है।

29.माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **M/s. Kalamani Tex & Anr Vs P. Balasubramanian Criminal Appeal No 123 of 2021 {LL 2021 SC 75} Date 10.02.2021** में इस संबंध में निम्न विधिक स्थिति अभिव्यक्त की हैः-

> "14 .................... The Statute mandates that once the signature(s) of an accused on the cheque/negotiable instrument are established, then these 'reverse onus' clauses become operative. In such a situation, the obligation shifts upon the accused to discharge the presumption imposed upon him. This point of law has been crystalized by this Court in **Rohitbhai Jivanlal Patel v. State of Gujarat** (2019) 18 SCC 106, ¶ 18. in the following words:
>
> > "In the case at hand, even after purportedly drawing the presumption under Section 139 of the NI Act, the trial court proceeded to question the want of evidence on the part of the complainant as regards the source of funds for advancing loan to the accused and want of examination of relevant witnesses who allegedly extended him money for advancing it to the accused. This approach of the trial court had been at variance with the principles of presumption in law. After such presumption, the onus shifted to the accused and unless the accused had discharged the onus by bringing on record such facts and circumstances as to show the preponderance of probabilities tilting in his favour, any doubt on the complainant's case could not have been raised for want of evidence regarding the source of funds for advancing loan to the appellant-accused.....
>
> ***
>
> 18. Even if we take the arguments raised by the appellants at face value that only a blank cheque and signed blank stamp papers were given to the respondent, yet the statutory presumption cannot be obliterated. It is useful to cite **Bir Singh v. Mukesh Kumar** (2019) 4 SCC 197, ¶ 36., where this court held

WEB COPY NOT OFFICIAL



---

that:

"Even a blank cheque leaf, voluntarily signed and handed over by the accused, which is towards some payment, would attract presumption under Section 139 of the Negotiable Instruments Act, in the absence of any cogent evidence to show that the cheque was not issued in discharge of a debt."

30.इस प्रकार चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर साबित होने पर यह साबित करने का भार अभियुक्त पर हस्तांतरित हो जाता है कि उसके द्वारा चैक ऋण के ऐवज में नही दिया गया है। इस प्रकार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 139 एनआई एक्ट की उपधारणा का सृजन होता है।

31.**इसके पश्चात् न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि अभियुक्त द्वारा उक्त उपधारणा का संभावनाओ की बाहुल्यता तक खण्डन किया है?**

32.सम्मानित न्यायिक दृष्टान्त **Baslingappa vs Mudibasappa** (supra) में पारित न्यायिक मत के अनुसार अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा धारा 139 एनआई एक्ट की उपधारणा का खण्डन का स्तर संभावनाओ की बाहुल्यता तक होता है।

33.इस संबंध में अभियुक्त द्वारा जिन आधारो को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, उनका बिन्दुवार विवेचन निम्नानुसार हैः-

34.**विधिक नोटीस प्राप्त नही होनाः** प्रकरण में अभियुक्त अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह रहा है कि परिवादी अधिवक्ता द्वारा विधिक नोटीस प्रदर्श पी 03 गणेशाराम पुत्र भूराराम को दिया गया है, जबकि अभियुक्त का नाम गणेशाराम पुत्र किशनाराम है। इस प्रकार यह विधिक नोटीस अभियुक्त को कभी प्राप्त नही होने से धारा 138(ग) एनआईएक्ट की अनुपालना नही हुई है और अभियुक्त को परिवादी को पैसे वापस करने के लिए पर्याप्त सूचना नहीं मिल पाई।

35.इस सम्बन्ध मे पत्रावली का अवलोकन किया जाए तो परिवाद गणेशाराम पुत्र किशनाराम के विरुद्ध पेश किया गया है तथा न्यायालय आदेशिका दिनांक 31.03.2022 के द्वारा गणेशाराम के पिता का नाम संशोधित कर किशनाराम किया गया है। जिस संबंध में अभियुक्त पक्ष ने विचारण के दौरान आपत्ति प्रस्तुत नही की है।

36.इसके अतिरिक्त भी प्रदर्श पी 03 विधिक नोटीस गणेशराम पुत्र भूराराम को भेजा गया था और पोस्ट ऑफिस की भेजने वाली रसीद को प्रदर्श पी 4 के तौर पर प्रदर्शित कराया है। परिवादी ने सशपथ कथनो में इस संबंध में उप डाकपाल,

WEB COPY NOT OFFICIAL



कुचामन सिटी को लिखा गया पत्र को प्रदर्श पी 06 के रूप में प्रदर्शित करवाया है। उक्त प्रदर्श पी 06 के ए से बी भाग में *"जिलिया B.O. में 14.03.2019 को वितरण हो गई"* का अंकन है। परन्तु उक्त अंकन के परिप्रेक्ष्य में हस्ताक्षर किस प्राधिकृत व्यक्ति के है, इस बाबत कोई अंकन अथवा प्राधिकृत सील प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत नही है। इसके अतिरिक्त उक्त अंकन बेहद अनौपचारिक होने तथा सत्यता की उपधारणा नही हो सकने के कारण उक्त प्रदर्श पी 06 पर अंकित नोट को नोटिस प्राप्ति के साक्ष्य के रूप में नही माना जा सकता है।

37.हालाकि परिवादी ने डाक जारी करने की रसीद प्रदर्श पी 04 को साक्ष्य के दौरान प्रदर्शित करवाया है, जिस पर दिनांक 12.03.2019 अंकित है। ऐसे में उक्त डाक के सम्बन्ध में धारा 27 साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की उपधारणा लागू होती है। **धारा 27 साधारण खण्ड अधिनियम, 1897** निम्न प्रकार हैः-

> "**27. Meaning of service by post**.—Where any [Central Act] or Regulation made after the commencement of this Act authorizes or requires any document to be served by post, whether the expression "serve" or either of the expressions "give" or "send" or any other expression is used, then, unless a different intention appears, the service shall be deemed to be effected by properly addressing, pre-paying and posting by registered post, a letter containing the document, and, unless the contrary is proved, to have been effected at the time at which the letter would be delivered in the ordinary course of post."

38.अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत सम्मानित न्यायिक दृष्टान्त **M/S. Rahul Builders vs M/S. Arihant Fertilizers & Chemical (2008)2 SCC 321 Date 02.11.2007** पूर्णतः भिन्न तथ्यो पर आधारित है, इसमें विधिक नोटीस में बकाया राशि का अंकन नही होने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे धारा 138 के परन्तुक (ख) की पूर्ण पालना नही मानी है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई आपत्ति नही रही है कि परिवाद में वर्णित शोध्य ऋण राशि का उल्लेख विधिक नोटिस में नही रहा हो। ऐसे में तथ्यो की भिन्नता के आधार पर उपरोक्त मत अभियुक्त पक्ष को कोई सहायता प्रदान नही करता है।

39.इसके अतिरिक्त परिवादी ने सशपथ कथनो में यह सुझाव स्वीकार किया है कि उसने भूराराम के बेटे गणेशाराम को नोटिस भेजा था और उसने आगे स्पष्ट किया है कि अभियुक्त को किशनाराम ने गोद लिया था, जिसकी उसे जानकारी नहीं थी।

WEB COPY NOT OFFICIAL



---

परिवादी ने आगे कहा है कि वह किशनाराम के बेटे गणेशाराम से किसी रकम का भुगतान नहीं चाहता, बल्कि वह भूराराम के बेटे गणेशाराम से भुगतान चाहता है, जिसे किशनाराम ने गोद लिया था। इसलिए, अभियुक्त का दावा है कि वह किशनाराम का बेटा है, न कि भूराराम का; इसलिए पता गलत है और यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त को कोई नोटिस मिला है।

40.सभी तर्कों पर विचार करने के बाद, रिकॉर्ड से पता चलता है कि अभियुक्त के ज्ञात अंतिम पते पर नोटिस भेजा गया था। अब अभियुक्त का यह बचाव कि पता गलत है क्योंकि पिता का नाम गलत है, मान्य नहीं है, क्योंकि अभियुक्त ने पते की मुख्य जानकारी के गलत होने के बारे में कोई तथ्य साबित नहीं किया है। साथ ही, यह पाया गया है कि अभियुक्त ने अपने पते की भौगोलिक स्थिति और अन्य विवरणों को गलत होने की चुनौती नहीं दी है, और केवल पिता का नाम गलत होने की आपत्ति मान्य नहीं है।

41.इस प्रकार परिवादी द्वारा अंतिम ज्ञात पते पर प्रेषित रजिस्ट्रर्ड डाक पर धारा 27 साधारण खण्ड अधिनियम के तहत उपधारणा की जाएगी जब तक अभियुक्त पक्ष उक्त अवधारणा का खण्डन नही करता है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पक्ष ने इस तथ्य के संबंध में खण्डन प्रस्तुत करने में विफल रहा है। अतः बचाव पक्ष का यह तर्क अस्वीकार्य है।

42.हस्तगत प्रकरण में यह साबित तथ्य है कि प्रश्नगत चैक पर अभियुक्त के ही हस्ताक्षर है तथा चैक पर कोई कांट छांट वगैरह अंकित नहीं हैं, ऐसे में धारा 20 एन.आई. एक्ट के प्रकाश में यह प्रथम दृष्टया माना जा सकता है कि विवादित चैक पर वर्णित इबारत सही है तथा अभियुक्त द्वारा प्रदत्त प्राधिकारिता के अनुसार ही है। ऐसे में अभियुक्त पक्ष का यह प्रतिरक्षा अस्वीकार्य है।

43.**चैक साध्य ऋण हेतु जारी नहीः**- अभियुक्त पक्ष की द्वितीय प्रतिरक्षा यह रही है कि उक्त चैक परिवादी को किसी साध्य ऋण के सम्बन्ध में जारी किया गया हो, ऐसा साबित नही हुआ है। परिवादी द्वारा जिस फिलिंग स्टेशन के सम्बन्ध में शोध्य बकाया होना बताया है, वह गैर कानूनी है, जिस कारण इसके बकाया को विधि साध्य ऋण की श्रेणी में नही रखा जा सकता है।

44.इस संबंध में न्यायालय का मत है कि धारा 118(ए) एन.आई. एक्ट के तहत, जब तक कि अन्यथा साबित नहीं कर दिया जावे, यह अवधारणा की जाती है कि हर

WEB COPY NOT OFFICIAL



---

पराक्रम्य लिखित प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गयी थी और यह कि हर ऐसी पराक्रम्य लिखित जब प्रतिगृहित, पृष्ठाकिंत, परक्रामित या अन्तरित हो चुकी हो तब वह प्रतिफलार्थ प्रतिगृहित, पृष्ठाकिंत परक्रामित, या अन्तरित की गयी थी।

45.हस्तगत प्रकरण में परिवादी (PW-01) ने दौराने कथन यह सुझाव स्वीकार किया है कि लाइसेंस प्रोविज़नल है और उसकी कंपनी के नाम पर जारी किया गया है। इस लाइसेंस के ज़रिए वह आम जनता को पेट्रोल/डीजल की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत है। उसने कहा कि सरकार हर 10-15 साल में लाइसेंस का नवीनीकरण (renewal) करती थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। उसने इस बात से इनकार किया कि उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया है।

46.इस प्रकार परिवादी के बयान के अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट है कि परिवादी अपनी बात पर कायम रहा है और परिवादी द्वारा बताई गई बातों को गलत साबित करने के लिए अभियुक्त ने ऐसा कोई दस्तावेज़ पेश नहीं किया है जिससे न्यायालय को यह विश्वास हो सके कि परिवादी से पेट्रोल/डीजल खरीदने का लेन-देन गैर-कानूनी था।

47.उपरोक्त मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत उपधारणा भी लागू किया जा सकता है क्योंकि यह दिखाया गया है कि परिवादी ने फिलिंग स्टेशन से पेट्रोल/डीजल की आपूर्ति की है, और यह तभी संभव है जब उसे तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल की आपूर्ति की जा रही हो; और अगर ऐसा होता कि तेल की आपूर्ति गैर-कानूनी तरीके से की जा रही थी, तो भी अभियुक्त द्वारा इस संबंध में कोई FIR या शिकायत रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई है। पेट्रोल की अनधिकृत/गैर-कानूनी आपूर्ति के संबंध में अभियुक्त द्वारा उठाए गए केवल तर्क अभियुक्त ने धारा 139 के तहत बने इस अनुमान को गलत साबित करने एवं चैक किसी विधि शोध्य ऋण के लिए नही रहा हो, यह साबित करने हेतु पर्याप्त नही है।

48.इसके अलावा भी अभियुक्त के विरुद्ध धारा 139 एनआई एक्ट की उपधारणा का सृजन हुआ है। उक्त उपधारणा का सृजन साध्य ऋण की अवधारणा का द्योतक होता है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **Rangappa Vs Sri Mohan** Criminal Appeal No. 1020 of 2010 Date 07-05-2010 में निम्न मत अभिव्यक्त किया हैः-

"14. In light of these extracts, we are in agreement with the re-

WEB COPY NOT OFFICIAL



---

spondent-claimant that the presumption mandated by Section 139 of the Act does indeed include the existence of a legally enforceable debt or liability..............."

49.परिवादी ने ऐसा कोई विरोधाभाषी कथन नही किया है, जिससे यह तथ्य दर्शित होता हो कि उक्त चैक साध्य ऋण के एवज में नही प्रदान किया गया हो। ऐसे में बिना किसी ठोस खण्डन के यह नही माना जा सकता है कि परिवादी द्वारा किसी साध्य ऋण के लिए राशि प्रदान नही की गई थी। इस प्रकार न्यायिक मत के प्रकाश में तथा प्रकरण के तथ्यो के विवेचनानुसार भी अभियुक्त पक्ष की यह प्रतिरक्षा अस्वीकार्य है।

50.**प्रसंज्ञान अभियुक्त के विरूद्ध नहीः** अभियुक्त अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि हस्तगत प्रकरण में प्रसंज्ञान अभियुक्त गणेशाराम पुत्र भूराराम के विरूद्ध लिया गया है जिस कारण यह कहना गलत है कि प्रसंज्ञान अभियुक्त गणेशाराम पुत्र किशनाराम के विरूद्ध लिया गया है। इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान नही होने से किसी प्रकार का निर्णय अभियुक्त के सम्बन्ध में पारित नही किया जा सकता है।

51.इस संबंध में न्यायालय का मत है कि प्रसंज्ञान का सामान्य अर्थ होता है अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा किसी मामले पर न्यायिक विवेक का प्रयोग करना ताकि यह तय किया जा सके कि क्या कार्यवाही प्रारम्भ करने और मामले या विषय का **'न्यायिक'** रूप से निपटारा करने का कोई आधार है। धारा 138 एनआई एक्ट के मामलो में जहाॅं परिवादी ने अभियुक्त के नाम का उल्लेख कर दिया हो तथा अभियुक्त द्वारा उक्त नाम के सम्बन्ध में उपस्थिति दर्ज करवा दी गई हो तथा प्रारम्भिक प्रक्रम पर प्रसंज्ञान आदेश के विरूद्ध किसी प्रकार की निगरानी अथवा अपील नही की गई हो तो वह प्रकरण के विचारण की अन्तिम स्टेज पर इस प्रतिरक्षा का सहारा नही ले सकता है कि प्रसंज्ञान उसके विरूद्ध नही हुआ। इस प्रकार अभियुक्त की यह प्रतिरक्षा स्वीकार करने योग्य नही है।

52.इस प्रकार अभियुक्त पक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी बचाव अस्वीकार्य रहे है तथा अभियुक्त पक्ष उपधारणा का खण्डन संभावनाओ की बाहुल्यता तक करने में पूर्णतः असफल रहा है। ऐसे में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 139 एन.आई. एक्ट की उपधारणा सृजित होती है।

53.हस्तगत प्रकरण में परिवादी पक्ष ने धारा 139 एनआई एक्ट के सभी अवयवो को

WEB COPY NOT OFFICIAL



---

पूर्णत साबित कर अभियुक्त के विरुद्ध उपधारणा सृजित कर आरोप को संदेह से परे साबित किया है। इस प्रकार सम्पूर्ण साक्ष्य के विवेचन से अभियुक्त द्वारा साध्य ऋण के लिए दिये गये चैक के अनादरण होने के तथ्य संदेह से परे स्थापित किया है।

54.अतः उपरोक्त समग्र विश्लेषण से धारा 138 एन.आई. एक्ट के समस्त आवश्यक अंतर्वस्तु सिद्व होते हैं। परिवादी की ओर से पेश की गई मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करती है कि अभियुक्त ने परिवादी के प्रति विधिक दायित्व की अदायगी पेटे चैक संख्या 012673 दिनांकित 04.03.2019 राशि रुपये 2,63,670/- बेंकर सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा जिलिया का जारी किया, जो परिवादी द्वारा विधिनुसार नियत समय में भुगतान हेतु अपने बैंक में प्रस्तुत करने पर आपके बैंक द्वारा दिनांक 05.03.2019 को अपर्याप्त निधि के रिमार्क से अनादरित कर दिया गया, जिस पर अनादरण की सूचना देने व चैक राशि की मांग करने के लिए परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से विधिक सूचना पत्र आपको दिनांक 12.03.2019 को प्रेषित करवाया। जिसकी सूचना आपके प्राप्त हो जाने के अन्दर मियाद 15 दिवस आप द्वारा चैक राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया गया।

55.सम्पूर्ण विवेचनानुसार परिवादी द्वारा आरोपित अपराध को संदेह से परे अभियुक्त के विरुद्व साबित किए जाने से अभियुक्त को आरोपित अपराध धारा 138 एनआई एक्ट में दोषसिद्व किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## -ः: निष्कर्षःः-

56.अतः अभियुक्त **गणेशाराम पुत्र किशनाराम, निवासी उदयपुरा, पोस्ट जिलिया, तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर (राज.)** के विरुद्व आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट के आरोप में दोषसिद्व घोषित किया जाता है।

57.अभियुक्त के न्यायालय में नियमित हाजिरी बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

**(दुष्यन्त गुर्जर)**
विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट
(एन.आई. एक्ट प्रकरण)
कुचामन सिटी, जिला डीडवाना-कुचामन

WEB COPY NOT OFFICIAL



---

## - दंड के प्रश्न पर -

58.उभय पक्ष के निवेदन पर इसी प्रक्रम पर सजा के बिन्दु पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त ने यह निवेदन किया कि अभियुक्त एक गरीब व्यक्ति है तथा अपने परिवार में अकेला कमाने वाला व्यक्ति है तथा उसका परिवार उस पर निर्भर है। अतः अभियुक्त को परीवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे या कम से कम सजा से दण्डित किया जावे। विद्वान् अधिवक्ता परिवादी ने इसका विरोध करते हुए यह तर्क दिया है कि अभियुक्त का कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अभियुक्त को कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया जावे।

59.उक्त तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध आर्थिक संव्यवहार से संबंधित है। परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 में चैक अनादरण के कृत्य को अपराध बनाया जाकर अधिनियम में अध्याय 17 जोड़ा गया। उक्त अध्याय को जोड़े जाने का उद्देश्य चैक के माध्यम से किए जाने वाले संव्यवहारों में विश्वसनीयता बढ़ाने तथा चैक अनादरण के कृत्य को दण्डनीय बनाए जाने का था। इसके बाद पुनः परक्राम्य लिखत संशोधन अधिनियम 2002 मे माध्यम से चैक अनादरण के अपराध के लिए सजा को बढाकर एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है। इतना सब हाते हुए भी देश में चैक अनादरण के प्रकरणो की बाढ सी आ गई है। यहां तक की सरकार को उक्त अपराधो के विचारण के लिए विशेष न्यायालयो की स्थापना करनी पडी है, फिर भी संशोधन का प्रयोजन पूरा नही हो पाया है।

60.उक्त चिंताजनक स्थिति के बाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **Makwana Mangaldas Tulsidas vs The State Of Gujarat, (2020) 04 scc 695** मे यह उल्लेख किया है कि :-

> 04. Despite many changes brought through legislative amendments and various decisions of this court mandating speedy trial and disposal of these cases, the Trial Courts are filled with large number of pendency of these cases. A recent study of the pending cases, reflects pendency of more than 35 lakh, which constitutes more than 15 percent of the total criminal cases pending in the District Courts. Further, there is

WEB COPY NOT OFFICIAL



a steady increase in the docket burden.

61. साथ ही इस स्थिति के निवारण के प्रयोजन से स्वप्रेरणा से स्व-मोटो रिट पीटीशन क्रिमीनल दर्ज करने के आदेश प्रदान किया है। **In Re: EXPEDITIOUS TRIAL OF CASES UNDER SECTION 138 OF N.I. ACT 1881, April 16, 2021** मे माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा इस स्थिति के बाबत् यह उल्लेख किया है कि :-

> "The situation has not improved as courts continue to struggle with the humongous pendency of complaints under Section 138 of the Act. The preliminary report submitted by the learned Amici Curiae shows that as on 31.12.2019, the total number of criminal cases pending was 2.31 crores, out of which 35.16 lakh pertained to Section 138 of the Act."

62.इस प्रकार चैक अनादरण के अपराध ने समाज व देश की अर्थव्यवस्था को विपरीत रुप से प्रभावित किया है। ऐसी स्थिति में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में परिवीक्षा का लाभ दिए जाने से न केवल चैकों के माध्यम से होने वाले संव्यवहार के प्रति आमजन की विश्वसनीयता खंडित होगी बल्कि उक्त अध्याय को जोड़े जाने का उदेदश्य भी प्रभावी रुप से पूर्ण नहीं हो पाएगा। अतः न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्त को परीवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## - दंडादेश -

63.अभियुक्त **गणेशाराम पुत्र किशनाराम, निवासी उदयपुरा, पोस्ट जिलिया, तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर (राज.)** को परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत् दण्डनीय अपराध में दोषी पाए जाने पर **एक वर्ष के साधारण कारावास** से दण्डित किया जाता है। साथ ही धारा **357(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता** के अधीन यह आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त **4,80,000/- रुपये अक्षरे चार लाख अस्सी हज़ार रुपये** बतौर **प्रतिकर** परिवादी को अदा करेगा। उक्त प्रतिकर की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त **एक माह का साधारण कारावास पृथक् से** भुगतेगा। प्रतिकर की उक्त राशि अभियुक्त से जुर्माने के रुप में वसूलनीय होगी।

WEB COPY NOT OFFICIAL



प्रतिकर अदा करने में व्यक्तिक्रम पर अधिरोपित कारावास मूल कारावास के भुगत लिये जाने के पश्चात भुगता जावेगा।

64.अभियुक्त का सजा वारण्ट बनाया जावे, जिस पर अभियुक्त द्वारा पूर्व में पुलिस अभिरक्षा/न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि को मूल सजा में समायोजित करने का नोट अंकित किया जावे।

65.अभियुक्त द्वारा धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता की पालना में प्रस्तुत किए गए जमानत व मुचलके निर्णय की दिनांक से आगामी छः माह तक प्रभावी रहेंगे।

66.निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जावे।

67.अभियुक्त निःशुल्क विधिक सहायता हेतु तालुका विधिक सेवा समिति, कुचामन शहर, श्रीमान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डीडवाना के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

**(दुष्यन्त गुर्जर)**
विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट
(एन.आई. एक्ट प्रकरण)
कुचामन सिटी, जिला डीडवाना-कुचामन

68.निर्णय एवं दण्डादेश आज दिनांक 27.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

**(दुष्यन्त गुर्जर)**
विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट
(एन.आई. एक्ट प्रकरण)
कुचामन सिटी, जिला डीडवाना-कुचामन